



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127087

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत मामले संख्या - 8347 वर्ष 2026

मुमताज खान और एक अन्य

.....याची(गण)

बनाम

अब्दुल रशीद और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : आनंद तिवारी, संतोष कुमार सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 38

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत वर्तमान याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्यर्थियों को याचीगण द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 और 2 सहपठित धारा 151 के अंतर्गत दाखिल व्यादेश प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक विवादित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का निदेश देने, और आगे प्रत्यर्थियों को उक्त प्रार्थना पत्र के लंबित रहने के दौरान विवादित भूमि पर कोई भी निर्माण करने से रोकने की मांग करते हुए दाखिल की गई है।
3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन है कि याचीगण ने इससे पूर्व अनुच्छेद 227 के अंतर्गत मामले संख्या 3207 वर्ष 2026 दाखिल करके इस न्यायालय के समक्ष गुहार लगाई थी, जिसे इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा निर्णय और आदेश दिनांक 26.03.2026 के

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माध्यम से अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया था। उक्त आदेश का क्रियाशील भाग इस प्रकार पढ़ा जाता है:

वादी-याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार सिंह का संक्षिप्त विवरण धारण करने वाले श्री राजेश कुमार सिंह (एओआर संख्या ए/आर 0421/12) को सुना।

आज पारित किए जाने हेतु प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी नहीं किए जा रहे हैं।

वादी-याचीगण का मामला यह है कि उन्होंने प्रतिवादी-प्रत्यर्थियों के विरुद्ध कब्रिस्तान पर निर्माण करने से रोकने के लिए व्यादेश की मांग करते हुए मूल वाद संख्या 344 वर्ष 2026 संस्थित किया था। वाद के साथ, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 और 2 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया गया था। आदेश दिनांक 24.02.2026 द्वारा, प्रतिवादी-प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी किए गए थे, विचारण न्यायालय का यह मत था कि पक्षकारों को सुने बिना कोई अंतरिम व्यादेश प्रदान नहीं किया जा सकता है। तत्पश्चात, 06.03.2026 को, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया जिसमें यह अभिकथन किया गया कि प्रतिवादी-प्रत्यर्थी निर्माण जारी रखे हुए हैं।

वर्तमान याचिका में प्रार्थना अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग), न्यायालय संख्या 2, गोरखपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2026 को अभिखंडित करने के लिए है, जिसके द्वारा एकपक्षीय व्यादेश अस्वीकार कर दिया गया था।

न्यायालय के मत में, विचारण न्यायालय ने अपने समक्ष अभिवचनों के आधार पर, केवल एक तिथि नियत करते हुए नोटिस जारी किए। चूंकि वादी-याचीगण द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया गया है, इसलिए विचारण न्यायालय को अंतर्गस्त अत्यावश्यकता पर विचार करते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र के साथ सहपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 और 2 के अंतर्गत व्यादेश प्रार्थना पत्र को अत्यंत शीघ्रता से, कड़ाई से विधि के अनुसार, कोई अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना निर्णीत करने का निदेश दिया जाता है, बशर्ते कोई विधिक बाधा न हो।”

4. यह तर्क दिया गया है कि 26.03.2026 को इस न्यायालय द्वारा जारी पूर्वोक्त निदेश के बावजूद, निचले न्यायालय द्वारा व्यादेश प्रार्थना पत्र और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रार्थना पत्र पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि पूर्वोक्त प्रार्थना पत्रों के लंबित रहने के कारण, याचीगण को अपूरणीय क्षति और प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभिकथित रूप से विवादित संपत्ति पर निर्माण गतिविधियां जारी हैं।

5. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया है कि निचले न्यायालय के समक्ष नियत अगली तिथि 28.07.2026 है।
6. किए गए निवेदनों पर विचार करने के पश्चात और मामले के गुणागुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि निचले न्यायालय को याचीगण द्वारा दाखिल सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र के साथ सहपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 और 2 के अंतर्गत व्यादेश प्रार्थना पत्र पर शीघ्रता से विचार करने और निर्णीत करने का निदेश देकर न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होगी, अधिमानतः 20.07.2026 को या उससे पूर्व, कड़ाई से विधि के अनुसार और संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात, यदि कोई विधिक बाधा विद्यमान न हो।
7. निचले न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त प्रार्थना पत्रों के निर्णीत होने तक, या 15.08.2026 तक, जो भी पहले हो, पक्षकार विवादित संपत्ति की प्रकृति, कब्जे और निर्माण के संबंध में आज विद्यमान यथास्थिति बनाए रखेंगे।
8. पूर्वोक्त टिप्पणियों और निदेशों के साथ, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

जून 12, 2026

सुमैरा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।